## To Review the National Pension System

### Un-Starred Question No. 106 - dated 29.08.2023

Sh. Varun Chaudhry, MLA (Mullana):

Will the Chief Minister be pleased to state:-

- a) whether the Government has constituted a Committee to review the National Pension System: If so, the details of the terms of reference;
- b) the number of meetings held by the Committee and the number of meetings held with employees association alongwith names and date;
- c) the details of the report submitted; if not, the time by which it is likely to be submitted; and
- d) whether there is any proposal under consideration of the Government to revert to Old Pension System considering the demand of the employees of State?

#### Answer

### Chief Minister:-

- a) The State Government has constituted a Committee under the chairmanship of Chief Secretary to Government Haryana, on 20.02.2023 to consider the demand for pension in terms of Old Pension Scheme besides problem in the implementation of New Pension Scheme.
- b) A meeting was held on 03.03.2023 by the Committee with the following representatives of Pension Bahali Sangharsh Samiti Haryana, Kaithal:-
  - (i) Sh. Vijender Dhariwal, President
  - (ii) Sh. Ramesh Kumar, Head of Research Team
  - (iii) Sh. Anoop Singh, Sr. Vice President
  - (iv) Sh. Rishipal, General Secretary
  - (v) Sh. Kamaldeep, Vice President
- c) Government of India has also constituted a Committee to look into the issue of pensions under the National Pension System. The State Committee has decided to wait for the Report of Government of India's Committee.

d)	No sir.

## राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने बारे अतारांकित प्रश्न सं. 106 - दिनांक 29.08.2023 श्री वरुण चौधरी, विधायक, मुलानाः

## क्या मुख्यमंत्री कृपा करके बतायें:-

- क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की समीक्षा के लिए एक सिमति गाठित की है: यदि हां, तो संदर्भ की शर्तों का विवरण?
- ख) सिमति द्वारा आयोजित बैठक की संख्या और नाम और तारीख के साथ कर्मचारी संघ के साथ आयोजित बैठकों की संख्या?
- ग) प्रस्तुत रिपोर्ट का विवरण: यदि नहीं, तो वह समय जिसके द्वारा इसे प्रस्तुत किये जाने की संभावना है?
- घ) क्या राज्य के कर्मचारियों की मांग पर विचार करते हुए पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है?

# <u>उत्तर</u>

## मुख्यमंत्रीः

- क) राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्या के अलावा पुरानी पेंशन योजना के अनुरुप पेंशन की मांग पर विचार करने के लिए दिनांक 20.02.2023 को मुख्य सचिव हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है।
- ख) सिमति द्वारा दिनांक 03.03.2023 को पेंशन बहाली संघर्ष सिमति हरियाणा, कैथल के निम्नलिखित प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई थी:
  - i. श्री विजेन्द्र धारीवाल, प्रधान
  - ii. श्री रमेश कुमार, अनुसंधान दल के प्रमुख
  - iii. श्री अनुप सिंह, वरिष्ठ उपाध्याक्ष
  - iv. श्री ऋषि पाल, महासचिव
  - v. श्री कमलदीप, उपाध्यक्ष
- ग) भारत सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन के मुददे पर गौर करने के लिए पहले ही एक सिमिति का गठन किया है। राज्य सिमिति ने भारत सरकार की सिमिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया है।
- घ) नहीं, श्रीमान जी।

\_\_\_\_\_